Indian J. Soc.& Pol. 04(02):2017:133-136 **ISSN 2348-0084(P)**
ISSN 2455-2127(O)

धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म–समभाव एवं भारत

रेनू सिंह[1]
[1]प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान, रामपूजन स्मारक महाविद्यालय, अतरौलिया, आजमगढ़, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता एक बहुचर्चित, विवादास्पद एवं भ्रान्त विचारधारा बन कर रह गई है। धर्मनिरपेक्षता की विडम्बना है कि इसे अपने पुनरूद्भव के पश्चात् से ही अवसरवादी, राजनीति व साम्प्रदायिक शक्तियों से अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को अभिशप्त होना पड़ा। आज देश के भिन्न राजनीतिक खेमों में धर्मनिरपेक्षता की मनमानी, सुविधाजनक व सतही व्याख्यायें हैं। धर्मनिरपेक्षता के प्रति अलग–अलग दलों का अलग–अलग दृष्टिकोण है। सब अपनी–अपनी डफली व अपना–अपना राग आलाप रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच धर्मनिरपेक्षता के मूल स्वरूप पर अब तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।'धर्मनिरपेक्षता से सम्पृक्त आज का अनावृत्त सत्य यह है कि भारतीय संविधान में इसका कोई स्पष्ट स्वरूप नही है। दो टूक बात यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा न केवल जटिल, भ्रामक व विवादास्पद है अपितु अवसरवादी व सत्तालोलुप राजनीतिक दलों के लिए दुधारू गाय सरीखी भी सिद्ध हो रही है। कमोबेश सभी दल इसे सत्ता की सीढ़ी के रूप में अपना रहे हैं। भारत के संविधान में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, मगर व्यावहारिक दुनिया की बात ही कुछ और है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद भी यहाँ लोग धर्म और जाति के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाये हैं। सन् 1976 में इन्दिरा गांधी के नेतृत्ववाली तत्कालीन काँग्रेस सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत 'समाजवादी' शब्द के साथ ही साथ 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को भी संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया, परन्तु इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई।

KEY WORDS: *साम्प्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव*

भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार 'किसी धर्म का विरोध न करके सभी धर्मों का सामान रूप से आदर किया जाय अर्थात् सर्वधर्म–समभाव रखना ही 'सेक्यूलर' होना है।'[3]भारतीय राजनीति के पुरोधा संत विनोवा भावे ने भी भारत में 'सेक्यूलरिज्म' का अर्थ सर्वधर्म–समभाव ही माना है। न्यायमूर्ति एस0आर0 खन्ना के अनुसार 'धर्मनिर्पेक्षता न तो देव विरोधी है और न ही देव समर्थक इसका व्यवहार तो भक्त, नास्तिक और भौतिकतावादी सबके प्रति एक सा रहता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के मामलों से धर्म को पृथक रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेद–भाव न किया जाय।'(खन्ना 1978 पृ053) डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में ''धर्मनिरपेक्षराज्य का अर्थ यह नहीं है कि वह लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ मात्र यह है कि यह संसद सारी जनता पर कोई एक विशेष धर्म नहीं थोप पायेगी।''(सी0ए0डी0 अंक07 पृ0822.824) डोनाल्ड स्मिथ की 'धर्मनिरपेक्ष राज्य के विषय में मान्यता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो व्यक्ति तथा संस्थानों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और संवैधानिक दृष्टि से किसी विशेष धर्म से न तो सम्बन्धित होता है और न ही धर्म को प्रोत्साहित करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है।'(स्मिथ,1963 पृ03)के0 एम0 मुंशी ने 3 अप्रैल 1948 को संविधान सभा में पारित एक प्रस्ताव को धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा माना है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय एकता के विकास और लोकतंत्र के उचित कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य है कि साम्प्रदायिकता को भारतीय जीवन से निकाल दिया जाय।(सीएडी अंक 08 पृ316) यहाँ धर्मनिरपेक्षता को साम्प्रदायिकता के एक विकल्प के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सर्वप्रमुख प्रवर्तक राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मानव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'जार्ज जेकब हॉलिओक' से विलग धर्म सापेक्ष, सकारात्मक व पवित्र साधन अपनाते है। उनकीधर्मनिरपेक्ष अवधारणा की उद्भूति राज्य और चर्च के मध्य संघर्ष से नहीं अपितु सर्वधर्म–समभाव, वसुधैव कुटुम्बकम्, अहिंसा परमो धर्मः, सहिष्णुता और उदारता सरीखे मानवीय तत्वों से प्रेरित भारतीय परम्परा से होती है। इस प्रकार गांधी जी इन अर्थो में धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं कि वे धर्म को सम्प्रदायिकता को स्रोत मानते है और उसे त्याज्य समझते है। अपितु वे इन अर्थों में धर्मनिर्पेक्ष हैं कि वे विभिन्न धर्मों के प्रति छिद्रान्वेषी मानसिकता से ऊपर उठकर उन्हें आदर की उदात्त दृष्टि से देखते हैं और जनमानस में समस्त धर्मों के प्रति श्रेष्ठ भावना विकसित करते हैं। दरअसल गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक स्रोत/उद्गम उनका धर्म (हिन्दुत्व) ही है। 02 मई 1933 को जवाहरलाल नेहरू को लिखे गये अपने एक पत्र में उन्होंने दृढ़ता के साथ स्वीकार किया था कि ''मैं धर्म नहीं छोड़

1:Corresponding Author

सकता, इसलिए हिन्दुत्व को छोड़ना असम्भव है। यदि हिन्दुत्व ने मुझे निराश किया तो मेरा जीवन बोझ बन जायेगा, हिन्दुत्व के कारण, ही मैं ईशाइयत, इस्लाम एवं अन्य धर्मो से प्रेम करता हूँ। इसे मुझसे दूर कर दो तो मेरे पास कुछ नहीं रह जायेगा।''(राष्ट्रीय सहारा, 18 जन 2003) उनकी दो टूक मान्यता थी कि ''हिन्दू धर्म बिना किसी भेदभाव के सभी के प्रति समदृष्टि से देखना सिखाता है।''(सीडव्ल्यूएमजी 62/211.212)

धर्मनिरपेक्षता का अंगरेजी रूपान्तर 'सेकुलरिज्म' है। यह एक पाश्चात्य संकल्पना है। इसके प्रवर्तक 'जार्ज जेकब हॉलिओक'(सन् 1817–1906 ई0) है। अनीश्वरवाद के विकल्प के रूप में ही 'हॉलिओक' ने 'सेकुलरिज्म' शब्द का सृजन किया। 'हॉलिओक' के मतानुसार 'सेकुलरिज्म' का मूल प्रयोजन मानव जाति की उस स्थिति को सुधारना है जिसमें वह रह रही है।'(होलियाक,1993)दूसरे शब्दों में कहा जाय तो मानव के हितों को सुरक्षित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। इस आन्दोलन की यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि इसमें न तो ईश्वरवाद और न ही अनीश्वरवाद को ही महत्व दिया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि इस आन्दोलन में ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद के विषय में सर खपाने के बजाय मानव के इहलौकिक जीवन की सुख – सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। इहलौकिक सुख की प्राप्ति हेतु किसी दैवी सत्ता में आस्था न रखकर मानव की बुद्धि और भौतिक साधनों पर ही अवलम्बित होना चाहिए। 'होलियोक के मतानुसार धर्मनिरपेक्षता में कट्टरवादिता या हठवादिता नहीं है। इसका लक्ष्य दैवी सत्ता की आलोचना के अपेक्षाकृत मानव के हित के साधन की खोज करना अधिक है।'(वही) कहना नहीं होगा कि भारतीय धर्मनिर्पेता का स्वरूप व साधन पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से भले ही भिन्न है, परन्तु मूल व अन्तिम प्रयोजन वही है– समस्त मानवता का कल्याण।

धर्मनिरपेक्षता शब्द से विलग धर्मनिरपेक्षता की भावना, उसके विधायक तत्व या उसकी आत्मा की बात करें तो वैचारिक रूप से समृद्ध, प्रगतिशील, सक्रिय और सचेतन प्राचीन भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का अत्यन्त समृद्धिशाली व स्वर्णिम अतीत रहा है। धर्मनिरपेक्षता के विधायक तत्व प्राचीनकाल से ही भारतीय लोकजीवन के अभिन्नांग रहे हैं। 'अजन्ता की गुफा के भित्ति–भिन्न आज भी गौरवशाली धर्मनिरपेक्ष भारतीय संस्कृति के मूल साक्षी बने हुए है।'(शम्भूनाथ,2001,पृ060) दरअसल इतिहास के आरम्भ से ही भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्मी व बहुसांस्कृतिक समाज रहा है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक व भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन के अनुसार भारतवर्ष में विभिन्न जाति, वर्ग एवं सम्प्रदाय के लोग आये और शनैः–शनैः भारत की परम्पराओं में समाहित होते गये। यहाँ विभेदों के बीच ऐक्य का विकास करने का मानवीय मेधा का अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रयास चलता रहा है। ज्ञात और अज्ञात स्थान से आये मानवों–आर्य, द्रविण, शक्, हूण, पठान और मुगलों की धारा इस देश में बही है।(राधाकृष्णन,पृ0107)

हमारी सनातन मान्यता रही है कि, ''धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल, और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित, नियोजित और नियंत्रित करता है तथा उसे स्वस्थ और उज्ज्वल जीवन जीने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।''(मिश्र,1980 पृ0266) दरअसल भारतीय परम्परा में ''धर्म वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है।(विवेकानन्द पृ02)''धर्म परम्परा का संरक्षक, नैतिक विधि का रक्षक और विवेक का शिक्षक रहा है।''(डॉसन,1984,पृ049.50) बृहदारण्यक उपनिषद् के अनुसार, ''धर्म की सहायता से एक निर्बल व्यक्ति भी शक्तिशाली शासन करने में समर्थ होता है। यह उपनिषद् धर्म को सत्य मानता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य की घोषणा कर रहा है तो वह धर्म की घोषणा है और यदि वह धर्म की घोषणा कर रहा है तो वह सत्य की घोषणा है। इस प्रकार सत्य एवं धर्म दोनों ही समानार्थक शब्द हैं।''(बृहदारण्य उपनिषद 104.14) वस्तुतः भारत भूमि पर प्राचीन काल से ही धर्म सत्य के रूप में धारण किया जाता रहा है–

''धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना।।'(रामचरित मानस अयोध्याकांड 94.3)

ऋषियों, मुनियों ने भारत को जो धर्म वैशिष्ट्य प्रदान किया, वह अद्भुत है। वह परपीड़न को धर्म विरोधी कर्म मानता है। उसने परहित, परोपकार एवं लोकहित के समान अन्य कोई सत्कर्म और धर्म नहीं स्वीकार किया। कदाचित् इसीलिए प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति का गहरा सम्बन्ध था। धर्म राजनीति का मार्गदर्शन करता था और उसे लोककल्याण हेतु प्रेरित करते हुये मर्यादा में आबद्ध रखता था। यही कारण था कि ''प्रत्येक राजा को राज्यभिषेक के समय ही यह प्रतिज्ञा करनी होती थी कि वह धर्म की स्थापना की रक्षा करेगा। भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराओं ने धर्म को राजा से भी अधिक सम्मान प्रदान किया। एक प्रकार से उसे सभी राजाओं का राजा माना।''(शास्त्री पृ032)

हमारे समस्त धार्मिक ग्रन्थों में 'सर्वधर्म समभाव' व 'विश्व बन्धुत्व' की उत्कृष्ट भावना, जीव–जगत के कल्याण की कामना तथा सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा आदि का प्राबल्य है–

''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुःख भाग भवेत।।

मनुस्मृति में धर्म के लक्षणों का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि–

''धृतिः क्षमा दमः अस्तेयं शोचमिंद्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।''

धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, शुद्धि, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, और अक्रोध ये दशों धर्म के लक्षण अर्थात् साधन हैं। भारतीय चिन्तन में जीवात्मा के प्रति सहिष्णुता और अहिंसाका जो भाव वैदिक और पौराणिक काल में प्रतिपादित हुआ, वह कालान्तर में बुद्ध, महावीर, नानक सरीखी देवात्माओं से पुष्टि प्राप्त करता हुआ आधुनिक काल तक पहुँचा। उल्लेखनीय है कि सहिष्णुता धर्मनिरपेक्षता की प्राण तत्व है। ''जिस समाज में सहिष्णुता है वहाँ क्षमा है, जहाँ क्षमा है वहाँ सौहार्द है। जहाँ सौहार्द है वहाँ सहयोग व समन्वय है। जहाँ समन्वय है वहाँ शान्ति है। जहाँ शान्ति है वहाँ विकास है– मानव का, समाज का और राष्ट्र का भी। जहाँ विकास है वहाँ आनन्द और आह्लाद है। यानि एक पूरे समाज या राष्ट्र की प्रगति का निमित्त बनने की गुणात्मकता रखती है सहिष्णुता।''(हिन्दुस्तान,1जनवरी1995)भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही सहिष्णुता की महत्ता को समझा और उसे व्यावहारिक जीवन में अपनाया। श्रीराम वन गमन से पूर्व माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को समझाते हुये कहा कि–

''राग रोषु इरिषा मद मोहू। जनि सपनेहु इनके बस होहू।।*(रामचरित मानस अयोध्याकांड,74.03)*

वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए न तो कोई आयातित विचार है और न ही कोई अबूझ पहेली, प्रत्युत यह प्राचीन भारतीय संस्कृति का अभिन्नांग है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त होता रहा है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम अपने अनुज भरत को राजधर्म का मर्म समझाते हुये कहते हैं–

''मुखिया मुख सो चाहिए, खान–पान कहुँ एक।

पालइ पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।।''*(वही, 315)*

अर्थात राजा किसी जाति या संप्रदाय का हो सकता है, परन्तु समभाव से समस्त प्रजाजन का पालन ही उसका धर्म है। श्रीराम ने यह कभी नही कहा कि राजा का धर्म सनातन धर्म अथवा वैष्णव या शैव मत है।। उनकी दृष्टि में राजा का सहज, स्वाभाविक धर्म मात्र राजधर्म ही है। प्राचीन अवधारणानुसार राजा का स्वयं कोई हित नही होता। प्रजा का समुचित ध्यान रखना ही उसका परम कर्तव्य है। कौटिल्य के अनुसार–

''प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।''*(कौटिल्य,1/19/16)*

लोककल्याण हेतु इस धराधाम पर अवतीर्ण श्रीराम अनुज भरत से कहते हैं–

''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।''*(रामचरित मानस,अयोध्याकांड 70.03)*

राजधर्म के अनुसार प्रजा के दुःखों का समुचित निवारण न करने वाले राजा को नर्क भोगना पड़ता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत में यह राजधर्म लोकधर्म की संज्ञा से अभिहित है। यही लोकधर्म धर्मनिरपेक्षता की पूर्वपीठिका है। कहना नही होगा कि भारतवर्ष की संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष तत्व सदैव विद्यमान रहे हैं। प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुम्बकम् (अर्थात समस्त विश्व एक परिवार है) 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' व अतिथि देवो भवः की सर्वोत्कृष्ट भावना की अनुगामिनी भारतीय व्यवस्था अपने ढ़ंग की विलक्षण चीज रही है। जो विश्व की किसी भी अन्य व्यवस्था में नहीं पायी गई है। ध्यातव्य है कि सर्वधर्म –समभाव की इसी उदार, उदात्त और महान भावना के कारण यहाँ विभिन्न मतों का प्रसार हुआ। अशोक, हर्षवर्धन, सरीखे महान राजा धर्मनिर्पेक्षता के पोषक रहे। अशोक के शासन काल में किसी सम्प्रदायिक तनाव का उदाहरण नहीं मिलता है। अशोक की घोषणा में उत्कीर्ण है कि–'दूसरों के सभी धर्म सम्मान के योग्य हैं। उनका आदर करने वाला अपने धर्म का आदर करता है।' गुप्तकाल भी सर्वधर्म–समभाव,सहिष्णुता एवं धार्मिक उदारता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। प्राचीन भारतीय संस्कृति के बहुविधि मानवतावादी दृष्टिकोण ने असाम्प्रदायिक राज्य की महान परम्परा का सूत्रपात किया था।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत की वास्तविकता को व्यक्त करता है। इसके अनुसार राज्य का धार्मिक विवादों से कोई लेना–देना नहीं होता था और विभिन्न मतावलम्बी साथ–साथ सौहार्दपूर्वक रहते थे। इस बात की पुष्टि 5वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चीनी यात्री फाहियान और 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वर्णनों में भी मिलती है।(राजकिशोर,1993 पृ0124) फाहियान चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि –'यद्यपि चन्द्रगुप्त स्वयं बौद्ध नहीं था फिर भी उसके शासन काल में चारों तरफ बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था। यह बात गुप्तकालीन कलाकृतियों से भी जाहिर होती है। ह्वेनसांग ने पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध से लेकर पूरब में कामरूप (असम) तक के विभिन्न नगरों व स्थानों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा वर्णन में अजन्ता, मालवा, भावनगर, सूरत, उज्जैन, कन्नौज, चित्तौड़ सिंध, नालन्दा, असम आदि सभी स्थानों के सम्बन्ध में लिखा गया है। इस विवरण के अनुसार कुछ जगहों के शासक बौद्ध और कुछ जगहों के शासक हिन्दू थे, लेकिन उसने सभी जगह देव मन्दिरों और बौद्धविहारों के साथ–साथ होने का वर्णन किया है।'(वही, पृ0123.124) भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारत में असाम्प्रदायिक राज्य की परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'भारत की अपनी असाम्प्रदायिक राज्य की परम्परा थी। जैन, बौद्ध और वैदिक धर्मावलम्बियों के बीच आपस में हलचल यहाँ भी चलती थी, लेकिन इस देश के शासक किसी भी धर्म का दलन नहीं करते थे, न ही यहाँ यह रिवाज़ था कि राजधर्म से भिन्न धर्म मानने वाले लोगों को द्वितीय या तृतीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था, परन्तु

मुस्लिम राज्यकाल में भारत की धर्म निरपेक्षता की महान नीति का अंत हो गया।(दिनकर,1962पृ237)

वर्तमान भारत में आठ प्रमुख धार्मिक समुदाय हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बोद्ध, जैन, पारसी और यहूदी साथ–साथ रहते हैं। संविधान ने भी अपनी धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुरूप इन समुदायों को अनुच्छेद 25 से 30 के अन्तर्गत धार्मिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान की है। परन्तु येन–केन–प्रकारेण सत्ता हासिल करने की सतही प्रवृत्ति वाले राजनितिक दलों ने इस देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने–बाने को तार–तार करने में कोई कोर कसर नही छोड़ी है। आज भारतीय राजनीति में सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य सर्वोपरि हो गया है। सच तो यह है कि अब राजनीति लोक कल्याण का साधन न रहकर मतलब साधने का जरिया मात्र बनकर रह गयी है। यही नहीं आज धर्म शब्द का भी सर्वाधिक दुरूपयोग हो रहा है और एक भ्रान्ति कायम करने की नापाक कोशिश हो रही है। आधुनिक द्वन्द्वात्मक भौतिक युग में एक ओर जहाँ धर्म के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है वहीं दूसरी ओर धर्म का व्यवसायीकरण हो रहा है। आज धर्म खरीदने व बेचने की वस्तु बन गया है। नारों, वाह्य आडम्बरों, कट्टरपंथी धार्मिक ताकतों के बीच धर्म एक नैतिक स्रोत की जगह उन्मत लोगों के शोर में परिवर्तित हो रहा है। अंधी आस्था की गोद में आकर धर्म उत्कर्ष नहीं अपितु पतन का माध्यम बनता जा रहा है। आज के दौर में स्वार्थी तत्व अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए धर्म को हथियार की भाँति इस्तेमाल कर रहे है। यदि वर्तमान परिदृश्य का आकलन करें तो हमें धार्मिक सहिष्णुता, उदारता की जो महान विरासत मिली थी वह क्षीण, निस्तेज व निर्बल हुई है। इसमें गिरावट व कमजोरी आयी है। कमोबेश प्रत्येक समुदाय एक दूसरे को छोटा, हीन व कमतर दर्शाने का प्रयास कर रहा है। पवित्र धार्मिक स्थलों का दुरूप्योग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर आक्रमण, एक पंथ को मानने वाले से दूसरे का तीव्र होता मदभेद लगातार नये–नये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है।सत्तालोलुप व सांप्रदायिक शक्तियाँ अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय धर्म निरपेक्षता के ढाँचेपर अनवरत कुठाराघात कर रही हैं। सत्ता हासिल करने की खतरनाक प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्षता को ढाल और तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसकी मनमानी, मनमाफिक व सुविधाजनक व्याख्यायें दी जा रही हैं।

सन्दर्भ

सिंह, रेनू (2002) *धर्मनिरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गाँधी की भूमिका* (अप्रकाशित शोध ग्रन्थ), पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

सिंह, नामवर : धर्मनिरपेक्षता बनाम् धर्म उद्धृत कनक तिवारी, संपा0 :*गाँधी का निरपेक्ष धर्म* (महात्मा गाँधी के 125 वाँ जन्म दिवस समारोह समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार प्रकाशन, भोपाल)

खन्ना, एच आर (1978) *कान्स्टीच्यूशन एण्ड सिविल लिवर्टी*, नई दिल्ली, राधाकृष्ण पब्लिशर्स

सी ए डी खंड 7 नई दिल्ली, गृह मंत्रालय भारत सरकार

स्मिथ, डोनाल्ड ई0(1963) *इण्डिया एज ए सेक्युलर स्टेट*, लंदन,

स्वरूप, देवेन्द्र, गाँधी जी और हिन्दुत्व, *हस्तक्षेप (राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र)*,18–01–2003

कलेक्टेड वर्क्स आफ महात्मा गांधी, सूचना एवम् प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

होलियांक, जार्ज जैकब (1993) *क्रिसिचयनिटी एण्ड सेक्युलरिज्म*, लंदन, हार्पर एण्ड रा पब्लिशर्स

शम्भूनाथ (2001) *धर्म का दुखांत*, पंचकुला, आधार प्रकाशन,

राधाकृष्णन *भारतीय संस्कृतिः कुछ विचार*, दिल्ली, हिन्दी पाकेट बुक्स लिमिटेड

सेक्यूलरिज्म पर सही बात– सम्पादकीय, *दैनिक जागरण*, 26 सितम्बर 2016।

शुक्ल,भानु प्रताप मंगलमय कल की कामना (सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख) *दैनिक जागरण, 21 अगस्त 2006*

मिश्र, डा0 जयशंकर (1980) *प्राचीन भारत का इतिहास*, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,

स्वामी विवेकानन्द– *सुक्तियां एवं सुभाषित*, नागपुर, रामकृष्ण मठ,

डॉसन, किस्टोफर(1984) *रिलीजन एण्ड कल्चर*,न्यूयार्क, मेरीडियन बुक्स

वृहदारण्य उपनिषद् 1,4– 14

जगजीत– सहिष्णुता बचेगी तो रहेंगे हम– *हिन्दुस्तान (रविवासरीय)* 1 जनवरी 1995

कौटिल्य : *अर्थशास्त्र* (1/19/16)

राजकिशोर, संपा (1993)अयोध्या और उससे आगे, नई दिल्ली,, वाणी प्रकाशन,

दिनकर, रामधारी सिंह (1962) *संस्कृति के चार अध्याय*, उदयाचल प्रकाशन,